सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 28, सोमवार, शाके 1944-सितम्बर 19, 2022 *Bhadra 28, Monday , Saka 1944- September 19, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2022

संख्या प.4(14)कृषि/ग्रुप-2/2018 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5.09.2018 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, नागौर के क्षेत्र में से पंचायत समिति जायल के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नवीन कृषि उपज मंडी समिति, जायल की स्थापना के आशय की घोषणा की गई थी।

राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति जायल के समस्त क्षेत्र को कृषि उपज मंडी समिति जायल का मण्डी क्षेत्र घोषित करती है।

आगे अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार एक कृषि उपज मण्डी समिति जायल का कृषि उपजों के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन करती है एवं इस कृषि उपज मंडी समिति को ''द'' श्रेणी में वर्गीकृत करती है ।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः</u>-

1. श्री महिपाल थालौड, मागलोद, जायल मो. 9983670654
2. श्री मांगीलाल बिडियासर, जाखण मो. 6315002693
3. श्री हेतराम विश्नोई, रोटू मो. 9460522325
4. श्री खूमाराम भाटी, उबासी मो. 9783607066
5. श्री धनाराम माली, जायल मो. 9414863691
6. श्री शिवदान फरडौदा, फरडौद मो. 9141863227

<u>व्यापारी वर्गः-</u>

1. श्री कमल किशोर बजाज, जायल मो. 9414864029

<u>सहकारी विपणन सोसाइटी:-</u>

1. श्री अणदाराम डूकिया, जायल मो. 9828971449

<u>सदस्य ग्राम पंचायत</u>

1. श्री मजीद खान वार्ड पंच जायल मो. 9828914872

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यः-

1. श्री जैताराम चोयल, कठौती, जायल मो. 9772279027

स्थानीय विधायक

1. श्रीमती मंजू देवी मेघवाल मो0 9413710525

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, जायल से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।